

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(20)राज/वाद/19

जयपुर, दिनांक 01-12-2020

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैनुअल 1999 के नियम 15,16 एवं 17 के अनुसरण में तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 (1989 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 22) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री विवेक सक्सेना, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं0 आर/2083/03) को विशिष्ट न्यायालय (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण), झालावाड़ में राज्य पक्ष की ओर से प्रकरणों की पैरवी करने हेतु विशिष्ट लोक अभियोजक (अजा/अजजा,अ.नि.प्र.), झालावाड़ के पद पर मासिक रिटैनेरशिप रूपये 16,800/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाता है।

श्री भैरूलाल बंशीवाल, विशिष्ट लोक अभियोजक (अजा/अजजा, अ.नि.प्र.), झालावाड़ की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है।


आज्ञा से

३०
(मधुसूदन शर्मा)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशेषाधिकारी (जीएसवाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
5. महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
6. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
7. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, झालावाड़।
8. विशिष्ट न्यायाधीश (अ.जा./अ.ज.जा.) झालावाड़।
9. जिला कलक्टर, झालावाड़।
10. कोषाधिकारी, झालावाड़।
11. संबंधित अभियोजक।
12. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
13. सहायक लेखाधिकारी प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
14. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
15. रक्षित पत्रावली।


(मधुसूदन शर्मा)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण